

[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)

अधिसूचना सं. 14/2021-सीमाशुल्क

नई दिल्ली, 1 फरवरी, 2021

सा.का.नि.....(अ).- केंद्रीय सरकार, वित्त अधिनियम, 2018 (2018 का 13) की धारा 110 के साथ पठित सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि लोक हित में ऐसा करना आवश्यक है, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं.11/2018-सीमाशुल्क, तारीख 2 फरवरी, 2018 जो सा.का.नि. 114(अ), तारीख 2 फरवरी, 2018 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित की गई थी, का और संशोधन करती है, अर्थात् :-

उक्त अधिसूचना की सारणी में, क्रम सं.1 के सामने स्तंभ (2) में "2510 20," अंकों के पश्चात् "2515 11 00, 2515 12 10," अंक अंतःस्थापित किए जाएंगे।

2. यह अधिसूचना 2 फरवरी, 2021 से प्रवृत्त होगी।

[फा. सं. 334/02/2021-टीआरयू]

(राजीव रंजन)
अवर सचिव, भारत सरकार

टिप्पण :- मूल अधिसूचना, अधिसूचना सं. 11/2018-सीमाशुल्क, तारीख 2 फरवरी, 2018, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में सं. सा.का.नि. 114(अ), तारीख 2 फरवरी, 2018 द्वारा प्रकाशित की गई थी और अंतिम बार अधिसूचना सं. 9/2020-सीमाशुल्क, तारीख 2 फरवरी, 2020 द्वारा संशोधित तथा संख्या सा.का.नि. 69(अ), तारीख 2 फरवरी, 2020 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i), में प्रकाशित की गई थी।